न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 43/2025

अमनदीप कौर बनाम इन्द्रजीत कौर व अन्य

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अंग्रेज सिंह वाल्ला अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी 4 व 5
2. श्री राजकुमार अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 04.11.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र व प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादी स० 2 ता 3 के दादा व प्रतिवादी स० 1 के दादा ससुर के नाम से चक 17 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के पटवार हल्का 11 एलएनपी के मु0न0 38 के किला न0 1/2 में 0.013 हेक्टर, किला न0 2/1 में 0.202 हैक्टर, किला न० 2/2 में 0.051 हैक्टर किला न0 3 ता 8, 9/1 में 0.051 हैक्टर, किला न0 9/2 में 0.202 हैक्टर किला न0 10/1 में 0.013 किला न० 10/2 में 0.240 हैक्टर किला न0 11 ता 25 सालम इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टर तथा मु0 न0 44 के किला न० 1 ता 25 में कुल 6.325 हेक्टर तथा मु0 न0 52 के किला न० 1 ता 25 में कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि सांझा खाता में थी जो संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति व संयुक्त परिवार की आय से क्रयशुद्वा भूमि थी जो कि वर्तमान वाद की विषय वस्तु है। इस सम्पति में से साधु सिंह ने मृत्यु के बाद उसकी पुत्री कुलविन्द्र कौर द्वारा अपने भाईयो के पक्ष में हक त्याग दिया तथा कुल सम्पति में जसविन्द्र सिंह व सुखदेव सिंह को आधा आधा हिस्सा जरिये विरास्त मिला दिनांक 26.7.2024 को सुखदेव सिंह जो कि वादिया का पिता व प्रतिवादी स० 1 के पति व 2 व 3 के पिता थे उनकी मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि मु0न0 38 के किला न0 3 से 8, 13/2,14 से 17,24 व 25 सालम कुल 12 बीघा 10 विस्वा व मु0न0 52 के किला न० 11,12,13/1,16 ता 25 कुल 12 बीघा 10 बिस्वा दोनो मुरब्बो की 25 बीघा जरिये विरास्त प्राप्त हुई तो उसमें वादिया का 1/4 हिस्सा था अब वादिया द्वारा दिनांक 13.2.2025 को अपने खाता की जमाबंदी निकाली तो वादिया को पता चला कि उसके हिस्से की जमीन को प्रतिवादी स० 1 ता 3 द्वारा आपसी सांठ गांठ कर अपने नाम से करवा लिया गया तथा उसके बाद प्रतिवादी स० 3 व 4 को उसका कुछ हिस्सा आपसी सांठ गांठ से बैचान दिखा दिया गया वादपत्र में आगे अंकन किया है कि प्रतिवादी स० 3 जो किसी केस में अन्दर हो गया था उसी दौरान प्रतिवादी स० 3 व 4 जो कि उसी गांव के रहने वाले है ने आपसी सांठ गांठ कर प्रतिवादी स० 1 का कुछ हिस्सा अपने नाम से करवा लिया था जबकि वादिया का हिस्सा था तथा वादिया के हस्ताक्षर व सहमति के बिना वह उक्त कृषि भूमि को बैचान नही कर सकते थे आदि आदि पर पेश किया है तथा प्रश्नगत आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा घोषित करने व शाश्वत व्यादेश में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से रोकने का निवेदन किया है। वादिया को अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके नाम की भूमि मे बहिस्सा बराबर वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 3 को प्राप्त हुआ था इसके उपरान्त वादीया द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 सबरजिस्ट्रार श्रीगंगानगर में दर्ज दिया था दस्तबरदारी का इंतकाल स0 451 दर्ज हुआ है जिसके बाद प्रतिवादी स० 1 ता 3 ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि आगे बैचान की है। इस प्रकार वादिया ने अपने विरास्तन प्राप्त हिस्से को जरिये दस्तबरदारी हक त्याग दिया है इसलिए अब उसका इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिए वादिया को वाद दायर करने का कोई वाद कारण उपलब्ध नही है । वादिया को कोई लोकस स्टेण्डी भी नही है। वादिया द्वारा अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया है हिस्सा प्राप्त होने के बाद पुनः हिस्सा प्राप्त करने का कोई कानून नही है इसलिए वादीया का वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा इन तथ्यों को जानबूझकर वादपत्र में अंकित नही किया है वादिया स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नही आई है इसलिए किसी प्रकार का कलेम रिलिफ प्राप्त करने की अधिकारणी नही है। वादिया द्वारा आज तक दस्तबरदारी को किसी 'न्यायालय में चुनौती नही दी है और ना ही इंतकाल को किसी न्यायालय में चुनौती दी है दस्तबरदारी दिनांक 10.5.2006 को चुनौती देने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है इसलिए जब तक दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय में निरस्त नही करवाया जाता तब तक वादीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का रिलिफ प्राप्त करने की अधिकारणी नही है इसलिए वादीया का वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 के 19 वर्ष वाद वादिया ने वादपेश किया है वादिया 19 वर्ष तक चुप रही, वादिया ने 19 वर्ष तक अपने नाम की जमाबंदी ही नहीं देखी, उसे पता नही चला कि उसके नाम की भूमि प्रतिवादी के नाम से कैसे हो गई है वादिया ने देरी का कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए दावा मियाद वाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी में मु0न0 38 के किला न0 6/2, 7/1, 8/2, 13/2, 14/1, 15/2 गुरदर्शन कौर पत्नी बचन सिंह के नाम से है मु0न0 38 के किला न० 14/2, 15/1, 16, 17, 24, 25 रूपेन्द्र कौर पत्नी गुरसाहिब सिंह के नाम से है मु0न0 38 के किला न0 3/3, 4/5 प्रतिवादी गुरदीप सिंह पुत्र जगरूप सिंह के नाम से है मु0न0 38 के किला न0 3/4, 4/3, 5/4, 6/1, 7/2, 8/1 बलदेव सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह के नाम से है मु0न0 38 के किला न० 1/4, 2/3, 4/6, 5/3, 9/3 प्रतिवादी स0 4 चरणजीत सिंह पुत्र जालौर सिंह के नाम से है मु0न0 38 के किला न0 5/3 बचन सिंह पुत्र फौज सिंह द्वारा जरिये बैयनामा 7.8.2024 से खरीदशुदा है जिन्हे जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। वादिया ने अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा सांठ–गांठ करने तथा बेचान करने का आरोप लगाया है जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय ही निर्णय कर सकता है राजस्व न्यायालय कपट के विन्दु का निस्तारण नही कर सकता इसलिए वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया व प्रतिवादी स० 1 ता 3 एक की घर में निवास करते है तथा परिवारिक सदस्य है यह वाद दुर्भिसन्धि से प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है न्यायालय ऐसे मामलो में धारा 151 सीपीसी में भी वाद खारिज कर सकता है। वादिया द्वारा न्यायालय में झूठा शपथपत्र प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। न्याय प्रक्रिया में यह धारा 193 सीआरपीसी सहित कई अन्य अपराधिक धाराओ में दण्डनीय अपराध है इसलिए वाद खारिज कर वादिया के विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही अमल में लायी जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश नहीं कर बहस समाहित करने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि वादिया को अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके नाम की भूमि मे बहिस्सा बराबर वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 3 को प्राप्त हुआ था इसके उपरान्त वादीया द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 सबरजिस्ट्रार श्रीगंगानगर में छोड़ दिया था दस्तबरदारी का इंतकाल स0 451 दर्ज हुआ है जिसके बाद प्रतिवादी स०

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1 ता 3 ने भूमि आगे बैचान की है। इस प्रकार वादिया ने अपने विरास्तन प्राप्त हिस्से को जरिये दस्तबरदारी हक त्याग दिया है इसलिए अब उसका इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिए वादिया को वाद दायर करने का कोई वाद कारण उपलब्ध नही है । वादिया को कोई लोकस स्टेण्डी भी नही है। वादिया द्वारा अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया है हिस्सा प्राप्त होने के बाद पुनः हिस्सा प्राप्त करने का कोई कानून नही है इसलिए वादीया का वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा आज तक दस्तबरदारी को किसी 'न्यायालय में चुनौती नही दी है और ना ही इंतकाल को किसी न्यायालय में चुनौती दी है दस्तबरदारी दिनांक 10.5.2006 को चुनौती देने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है इसलिए जब तक दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय में निरस्त नही करवाया जाता तब तक वादीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का रिलिफ प्राप्त करने की अधिकारणी नही है इसलिए वादीया का वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 के 19 वर्ष वाद वादिया ने वाद पेश किया है वादिया 19 वर्ष तक चुप रही, वादिया ने 19 वर्ष तक अपने नाम की जमाबंदी ही नहीं देखी, उसे पता नही चला कि उसके नाम की भूमि प्रतिवादी के नाम से कैसे हो गई है वादिया ने देरी का कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है इसलिए दावा मियाद वाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वादिया ने अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा सांठ–गांठ करने तथा बेचान करने का आरोप लगाया है जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय ही निर्णय कर सकता है राजस्व न्यायालय कपट के विन्दु का निस्तारण नही कर सकता इसलिए वादपत्र वार्ड वाई ला होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में – पंजीकृत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 अमनदीप कौर पुत्री स्व. सुखदेव सिंह बहक श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नी स्व. सुखदेव सिंह की प्रति, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 283/15, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 282/15, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 248/15, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 266/15, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 309/15, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 117/13, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 111/12, जमाबंदी चक 17 एमएल, पटवार हल्का चक 11 एलएनपी तह. व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 215/16 पेश की गई।

वकील वादी द्वारा जवाब बहस में लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें वर्णित तथ्यानुसार वादिया द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष अधियाचित किया गया कि चक 17 एम. एल. के खाता संख्या 59/44 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3 से 8, 13/2, 14 से 17, 24 व 25 सालम, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 11, 12, 13/1, 16 ता 25, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा, इस प्रकार दोनों मुरब्बों की कुल 25 बीघा कृषि भूमि वादिया को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे व शाश्वत् व्यादेश इस आश्य का अधियाचित किया कि प्रतिवादीगण, वादिया के हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। उक्त वाद पत्र में वादिया द्वारा अधियाचित अनुतोष के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी चरण संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा यह निवेदन किया गया कि वादिया को अपने पिता की मृत्यु के बाद 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ था तथा आगे निवेदन किया कि वादिया द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

10.05.2006 को सब–रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के समक्ष दस्तबरदारी द्वारा अपना हक त्याग कर दिया था । इसलिए कोई वाद कारण नहीं मानते हुए वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया जिसके उत्तर में निवेदन है कि वादिया द्वारा अपने परिवार की विरास्तन कृ षि भूमि में अपना 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादिया द्वारा अपने हिस्सा की मांग की गई है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा जो आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें वाद को विधि द्वारा वर्जित बताया है, परन्तु वाद विधि द्वारा कैसे वर्जित है, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया है। न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2020 (Revenue) Page 454 अनवानी करतार सिंह बनाम लाल सिंह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कौन से अभिकथन के कारण दावा किस विधि में बाधित है, प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र अथवा प्रस्तुत बहस के कारण दावा किस विधि के माध्यम से बाधित है, हमारे समक्ष साबित नहीं कर पाए। उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर भी लागू होता है, क्योंकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय वाद विधि द्वारा कैसे वर्जित है, का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2022 (2)(Revenue) Page 1325 अनवानी चतुरा राम बनाम ग्वारक वगैरह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थी अपने आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनों को स्थापित में असफल रहा है कि वाद विधि द्वारा वर्जित था। विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा उठाए गए आधारों पर तनकीहात विरचित कर साक्ष्य अभिलेख करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उक्त न्यायिक दृ ष्टान्त इस वाद पत्र पर भी स्पष्ट रूप से लागू होता है, क्योंकि वादिया द्वारा कृषि भूमि में अपने 1/4 हिस्सा की मांग की गई है तथा उक्त अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है तथा राजस्व न्यायालय प्रथम स्तर पर बिना साक्ष्य लिए यह नहीं कह सकते कि वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा आदेश 7 नियम 11, सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र में न्यायालय को वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को देखना होता है। इस स्तर पर दस्तावेज को नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए भी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11, सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० की आगामी चरणों में यह वर्णित किया है कि वादिया द्वारा उनके हक में दिनांक 10.05.2006 को दस्तबरदारी की हुई है, जिसे चुनौती नहीं दी गई तथा आगे की चरणों में यह भी कथन किया है कि चरणजीत पुत्र जलौर सिंह व वचन सिंह पुत्र फौजा सिंह द्वारा दिनांक 07.08.2024 को कृषि भूमि खरीद की थी, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2022 (2)(Revenue) Page 1423 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० के अन्तर्गत किसी भी वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वाद विधि से वर्जित है। न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (1) Page 642 पर सविस्तार यह वर्णित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के अन्तर्गत वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता तथा जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाया गया यह कथन कि दस्तबरदारी दिनांकित 10.05.2006 को चुनौती नहीं दी गई तथा उसकी मियाद समाप्त हो चुकी है, इस कथन के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त कथन साक्ष्य से साबित होगा कि दस्तबरदारी के आधार पर वाद चलने योग्य है अथवा नहीं। आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० में स्पष्ट प्रावधान है कि इस स्तर पर किसी दस्तावेज को नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए उक्त कथन के आधार पर आज प्रथम स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है तथा जहां तक चरणजीत सिंह पुत्र जलौर सिंह व बचन सिंह पुत्र फौजा सिंह द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के बैयनामा दिनांकित 07.08.2024 का कथन है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मात्र बैयनामा करवाए जाने से प्रतिवादी संख्या 4 व 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

यह नहीं कह सकते कि चरणजीत सिंह पुत्र जलौर सिंह व बचन सिंह पुत्र फौजा सिंह को पक्षकार नहीं बनाने के कारण वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि फौजा सिंह के नाम इन्तकाल नहीं हुआ है, इसलिए उसका जमाबन्दी में नाम नहीं था, फिर भी अगर उनके ज्ञान में था तो आदेश 1, नियम 10, सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं, परन्तु जिस पक्षकार से वादिया प्रभावित नहीं थी तथा न ही उसे ज्ञान था तथा न ही उसका जमाबन्दी में नाम था, इस आधार पर वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मात्र वाद पत्र को देरीना करने के उद्देश्य से तथा न्यायालय को भ्रमित कर स्थगन आदेश को खारिज करवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सपठित धारा 151, सी०पी०सी० सव्यय निरस्त फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **[Citation : 2020 DNJ (Rev.) 454], [Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1324], [Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1422],** पेश किये गये।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनों में अपने पिता स्व. सुखदेव सिंह की विरास्तन भूमि में 1/4 हिस्सा का प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीया द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 सबरजिस्ट्रार श्रीगंगानगर में छोड़ दिया था दस्तबरदारी का इंतकाल स0 451 दर्ज हुआ है जिसके बाद प्रतिवादी स० 1 ता 3 द्वारा भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को बैचान की गई है। इस प्रकार वादिया ने अपने विरास्तन प्राप्त हिस्से को जरिये दस्तबरदारी हक त्याग दिया है। जब तक दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 को किसी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक वादीया राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 10.05.2006 सही किया गया है अथवा नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इसके सम्बन्ध में वादीया सिविल न्यायालय से उसकी वैधता के सम्बन्ध में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner